अध्याय प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 पर्यावरण शिक्षा

1.1.2 पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य

1.1.3 अध्यापक एवं पर्यावरण शिक्षा

1.1.4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 में पर्यावरण

1.1.5 भारतीय संविधान और पर्यावरण

1.2 अध्ययन की आवश्कता एवं महत्व

1.3 समस्या कथन

1.4 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा

1.5 शोध के उद्देश्य

1.6 परिकल्पनाएं

1.7 अध्ययन का सीमांकन।

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावनाः—

मानव इस पृथ्वी की सर्वात्तम रचना है, जो पर्यावरण के सभी रहस्यों को समझता है। मानव के समस्त क्रिया कलाप एवं आधारभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, गृह, वस्त्र आदि प्रमुख उद्यम, सामाजिक आवश्यकताएं सांस्कृतिक आवश्यकताओं का सीधा संबंध पर्यावरण से है। ऐसा कहा जाता है कि, पर्यावरण भौतिक तत्वों, शक्तियों का एक ऐसा समुच्चय है जो सृष्टि को जीवन बनाए हुए है। प्रारंभ में मानव की जनसंख्या कम थी और आवश्यकताएं अत्यन्त सीमित। इस कारण पर्यावरण पर इसके दोहन का प्रभाव नगण्य था। धीरे—धीरे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने खेती करना और एक जगह बसकर रहना शुरू किया। ज्ञान, विकास, तकनीकी, चिकित्सा विज्ञान, गणित आदि का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हुई, जिसकी रफ्तार प्रारंभ में कम बाद में अधिक और वर्तमान समय में गतिमान रूप धारण कर रही है।

हम पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों का अपने स्वार्थ में डूबकर, गलत तरीके से दोहन कर रहे है। नदियों के साफ जल को गंदा कर रहे है, शुद्ध व ताजी हवा को विविध तरीकों से अशुद्ध बना रहे है, प्राणवायु (ऑक्सिजन) को कार्बन—डाई—आक्साइड में बदल रहे है, धरती के कृषि योग्य क्षेत्र को निरन्तर घटा रहे है। उपजाऊ भूमि व घने जंगलों को साफ करके भव्य इमारते बना रहे है। वाहनों से अनियंत्रित प्रदूषण फैला रहे है। हमें इस स्थिति से बचने के उपाय सोचने होंगे। पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान मिलकर ढूंढने के प्रयास करने होंगे। आज दिखावे व ढोंग से बचकर अपने श्रेय व दायित्व को पुनःस्थापित करने की प्रबल आवश्यकता है अन्यथा भावी पीढिया हमें कतई क्षमा नहीं करेंगी।

भारतीय दृष्टि में प्रकृति हमारे लिए है और हम प्रकृति के लिये प्रकृति का यह नियम रहा है कि वह सभी की जरूरते पूरी कर सकती है पर एक का भी लालच पूरा नहीं कर सकती । पर्यावरण में सजीव व निर्जीव दोनो एक दूसरे के साथ प्रतिक्रियाएं करते है और ये प्रतिक्रियाएं यदि एक निश्चित मापदण्ड के साथ होती है तब हम इसे शुद्ध पर्यावरण कहते है। लेकिन इन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले असंतुलन का परिणाम हमें प्रदूषण के रूप में देखने मिलता है।

आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलु है, जिन्हें एक दूसरे से अलग–अलग नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार आर्थिक विकास उन्नत जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण भी उसके अस्तित्व के लिये परम आवश्यक है। अतः जब तक हम पर्यावरण से पूरे जागरूक नहीं हो जाते, तब तक हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति उतने संवेदनशील नहीं हो सकते ।

प्रकृति हमारे जीवन को विविध स्वरूपों व आयामों से प्रभावित करती है। हम पूर्णरूप से प्रकृति पर निर्भर है, फिर भी हैरानी की बात है कि हम उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे है। स्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' में स्पष्ट कहां था – ''परहित सरिस धर्म नहिभाई'' किन्तु आज की पीढ़ी के लोग तो ठीक इस के विपरीत आचरण कर रहे है। यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो आगे के कुछ ही वर्षो में प्रकृति भयावह व विकृत रूप धारण कर लेगी। उस समय हमारा जीना, हंसना, खाना, पीना सब कुछ नीरस व दुर्भर हो जाएगा। इसलिए अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता होने व पर्यावरण संरक्षण करने में ही सबकी भलाई निहित है। हमें अपनी प्रतिभा, समझ, क्षमता के अनुसार, पर्यावरण सुधार के लिए जी–तोड़ प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि वसुधैव कुंटूबकम की भावना चरितार्थ हो सके।

संत कबीर के शब्दों में – ''कल करें सो आज कर, आज करे अब'' की तरह ये प्रयास इसी वक्त से प्रारंभ कर देने चाहिए । चूंकि, समय किसी की प्रतिक्षा नहीं करता। यदि हम सोते रहे, समय की कीमत से अनभिज्ञ बने रहे तो आने वाले समय में बहुत पछताना पडेंगा। इन सब गतिविधियों से, परिवर्तनों से

मानव को चिंतित होना स्वभाविक था। इस चिंता ने ही पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा को जन्म दिया।

1.1.1 पर्यावरण–शिक्षा

आज विश्व में संतुलित पर्यावरण की गंभीर समस्या समाज के सभी वर्गो के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि प्रभावी कदम न उठाए गए तो आनेवाले वर्षो में मनुष्य के लिए जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। मानव–विकास के लिए स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण की महती आवश्यकता है। प्रकृति की वर्तमान दुर्दशा आज मांग करती है कि सभी स्तरों पर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। अतः हमें चाहिए कि समय रहते अध्ययनरत छात्रों में ऐसी अभिरूचिया पैदा कर दें, जिनसे वे कालांतर में समाज के लिए पर्यावरण–संरक्षण के कार्य कर सके।

पर्यावरण–संतुलन को बनाए रखने के लिए आजकल पर्यावरण शिक्षा के महत्व को स्वीकारा जा रहा है। पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः पर्यावरण संबंधी जानकारी व समझ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण और मानव के पारस्पारिक संबंधों तथा पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार पर्यावरण द्वारा – पर्यावरण के लिए पर्यावरण के बारे में जानकारी, अवबोधन रूचियों, अभिवृत्तियों एवं कौशलों के विकास संबंधी क्रियाओं को 'पर्यावरण शिक्षा' कहा जाता है।

जर्मनी के एक पर्यावरणवादी आर.ई. लौब पर्यावरण शिक्षा के बारे में लिखते है कि, "पर्यावरण शिक्षा औद्योगिक संस्थानों से जीवन बचाने के संकट से बचने की शिक्षा है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों के ज्ञान और व्यवहार में जीवन पर्यन्त परिवर्तन लाने की और उद्देशित है।"

युनेस्कों का पर्यावरण सोमिनार जो जर्मनी में 1976 में सम्पन्न हुआ था, उसमें पर्यावरण शिक्षा के बारे में ऐसा कहा गया कि, "पर्यावरण शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। यह विज्ञान

तथा अध्ययन क्षेत्र की पृथक शाखा नहीं है, अपितु जीवन पर्यन्त चलने वाली शिक्षा की प्रक्रिया है।"

प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि पर्यावरणीय शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव प्रकृति एवं समाज के पारस्पारिक संबंधों को समझता है तथा इनके प्रति अपना बोध करते हुए, पर्यावरण में सुधार के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है।

1.1.2 पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य

संयुक्त राष्ट्र द्वारा बेलग्रेड में 1975 सम्पन्न हुई कार्यगोष्ठी में पर्यावरण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वे निम्नांकित रूप से इस प्रकार है :–

1. **जागरूकता :–**

व्यक्तियों तथा समूहों में समग्र पर्यावरण तथा उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

2. **ज्ञान :–**

व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में सामाजिक में संपूर्ण पर्यावरण तथा उसकी समस्याओं के बारे में समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

3. **अभिवृत्ति :–**

व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में सामाजिक मूल्यों, वातावरण के प्रति घनिष्ठ प्रेम भावना तथा उसके संरक्षण एवं सुधार के लिए प्रेरणा विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

4. **कौशल :–**

पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में कौशलों का विकास करना।

5. **मूल्यांकन योग्यता :–**

व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों में पर्यावरणीय तत्वों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों को परिस्थितिकीय (Ecological), राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,

सौन्दर्यात्मक तथा शैक्षिक कारकों के सन्दर्भ में मूल्यांकन करने की योग्यता के विकास में सहायता देना।

6. सहभागिता :–

व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों को पर्यावरणीय समस्याओं के उपयुक्त समाधान के संबंध में उत्तरदायित्व की भावना तथा उपयुक्त कदम उठाने के लिए तत्पर बनाने में सहायता प्रदान करना।

1.1.3 अध्यापक एवं पर्यावरण शिक्षा

अध्यापकों के सक्रिय सहयोग के बिना शिक्षा संबंधी कोई भी नवीन कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। पर्यावरण शिक्षा को सफल बनाने के लिए अध्यापकों को कुछ मूलभूत बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। इनमें पर्यावरण शिक्षा संबंधी मनोवृत्तियों का विकास, पर्यावरण संबंधी आवश्यक जानकारी, प्रदूषण संबंधी समस्याओं की जानकारी , पर्यावरण शिक्षा संबंधी पाठनविधियों की जानकारी आदि सम्मिलित है।

यूनेस्कों ने 1982 में पर्यावरण शिक्षा को अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। इसके अनुसार, जो अध्यापक पहले से ही सेवारत है, उनके लिए अभिनवीकरण कार्यक्रम तथा नए अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा के समावेश की व्यवस्था की गई थी।

आज बदलते हुए सामाजिक परिवेश में अध्यापकों से आशा की जाती है कि वे परंपरागत रूप से होने वाली ऐसी क्रियाओं का विरोध करें, जिनसे प्रदूषण में वृद्धि होती हो। संतुलित पर्यावरण से समाज को होने वाले लाभों पर प्रकाश डालना उनका उत्तरदायित्व है। अध्यापक छात्रों एवं समाज दोनों को इस योग्य बनाएं कि वे पर्यावरण के स्त्रोतों, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों एवं अन्य चीजों और सांस्कृतिक संपदा का न केवल ज्ञान के लिए उपयोग करें, अपितु इनका संरक्षण भी करें। छात्रों में ऐसे अवबोधन, ऐसी अभिवृत्तियां और ऐसे कौशल विकसित किए जाए, ताकि वे पर्यावरण के विकास में अपनी उपयुक्त भूमिका निभा सके।

पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित करते हुए प्रायोजना एवं समस्या समाधान विधि से पर्यावरण शिक्षण का समुचित ज्ञान दिया जाना चाहिए। अतः इन व्यावसायिक गुणों के विकास हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं सेवारत अध्यापकों हेतु पर्यावरण शिक्षा का आयोजन करना आवश्यक है।

पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य मात्र विषयवस्तु के कुछ अंशो का अधिगम करवाना ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण चेतना पैदा करने हेतु विभिन्न क्रियाएं करते हुए अभिवृत्तियां का विकास करना भी है। इसके लिए अध्यापकों को पर्यावरण शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कुछ भिन्न होता है।

सेवापूर्व शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा का विषय अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिये। पर्यावरण शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं रखना चाहिये क्योंकि पर्यावरण की शिक्षा सभी विषयों के अध्यापकों के लिये आवश्यक है, पर्यावरण शिक्षा का प्रयोजन सभी विषयों को एकीकृत करते हुए ऐसी अधिगम परिस्थितियां प्रदान करता है, जिनसे चेतना जागृत हो सके।

1.1.4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 में पर्यावरण

शिक्षा एक ऐसी प्रकिया है जो बालक तथा मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्तियों का सर्वोमुखी विकास करती है। यह विकास किस प्रकार का हो इसकी रूपरेखा हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 में की गई है। इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विभिन्न विषयों के साथ पर्यावरण विषय को भी उचित स्थान मिला है।

इसमें लिखा है कि 'राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षाक्रम के ढॉचे पर आधारित होगी, जिसमें एक '''सामान्य केन्द'' (Comon Core) होगा, और अन्य हिस्सों की बाबत लचीलापन रहेगा, जिन्हें स्थानीय पर्यावरण तथा परिवेश के अनुसार ढाला जा सकेगा। सामान्य केन्द्र में राष्ट्रीय मूल्यों को हर व्यक्ति की सोच और जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। इन राष्ट्रीय मूल्यों में पर्यावरण जागरूकता तथा पर्यावरण का संरक्षण इन आधुनिक मूल्यों को भी शामिल किया है।

बच्चों को पर्यावरण व पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना भी पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण सरोकार है। पिछली सदी में उभरे नए तकनीकी विकल्प व जीवनशैली से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और परिणाम स्वरूप सुविधा सम्पन्न व सुविधारहित वर्गो के बीच गहरा असंतुलन आ गया है।

अब यह पहले से कहीं अधिक अनिवार्य हो गया है कि, पर्यावरण का पोषण व संरक्षण किया जाए। शिक्षा इसके लिए आवश्यक परिपेक्ष्य दे सकती है कि मानव जीवन का पर्यावरण संकट के साथ सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है ताकि जीवन विकास व संवर्धन संभव हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस आवश्यकता पर जोर दिया कि पर्यावरण को शिक्षा के सभी स्तरों पर व समाज के सभी वर्गो के लिए समाहित कर पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा की जाएं।

हमारी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य केन्द्र बिन्दु बालक होता है। बालक को कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय की शिक्षा दी जानी जाहिए। प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन में, उसके संरक्षण और क्षरण से बचाने की आवश्यकता पर जोर होना चाहिए। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बच्चों में पर्यावरण को समझने में सहायता होगी। पर्यावरण संबंधी चिंताओं का बेहतर समाधान इस रूप में किया जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा को विभिन्न विषयों के साथ जोड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उससे जुडी प्रासंगिक गतिविधियों को पर्याप्त समय मिले।

इन गतिविधियों में स्थानीक पर्यावरण का नक्शा तैयार करना, पर्यावरण इतिहास को दर्ज करना तथा पर्यावरण से जुडे राजनीतिक मुद्दों को भूगोल, इतिहास और राजनीति विज्ञान की परियोजना से जोडा जा सकता है। पर्यावरण संबधी परियोजनाओं से जुडे विद्यार्थी ऐसे ज्ञान के निर्माण में अपना योगदान दे सकते है जो भारतीय पर्यावरण का एक पारदर्शी सार्वजनिक आकडा आधार तैयार करने में सहायक हो। इसके लिए पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या मे व्याप्त होना चाहिए।

अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में शिक्षकों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसलिए स्कूल में शिक्षकों को विद्यार्थियों को स्थानीय परंपराओं और लोगों के पर्यावरण संबंधी व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित परियोजना तैयार करने में मदद करनी चाहिए। इसमें स्कूली परंपरा से उसकी तुलना को भी शामिल किया जा सकता है।

पर्यावरण शिक्षा सबसे अच्छी तरह विभिन्न अनुशासनों की शिक्षा के साथ, उसके मुद्दों और चिंताओं को सभी स्तरों पर जोडकर दी जा सकती है। परन्तु, इसमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि संबंधित गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय दिया जाए जिससे की पर्यावरण संबंधी उपागमों को उचित न्याय मिल सके।

1.1.5 भारतीय संविधान और पर्यावरण

हमारे भारतीय संविधान में संविधानकर्ताओं ने राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए जो आवश्यक स्वतंत्रता संविधान के भाग–3 के जरिये व्यक्ति को मूल अधिकारों द्वारा प्रदान किए गए है। उसी प्रकार संविधान के भाग–4 में व्यक्ति को कुछ मूलभूत कर्तव्य भी निभाने को कहा गया है।

जिनमें अनुच्छेद 51 क (VII) में कहा गया है कि "भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है। इनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणीमात्रा के प्रति दयाभाव रखे।"

ऐसा ही संविधान के अनुच्छेद 48 (ए) में पर्यावरण संरक्षण का समुचित प्रावधान कर दिया गया है कि, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, उपयोगी पशुओं के वध का प्रतिषेध करना, जैसे गायो, बछडों और दुधारू और वाहक पशुओं का संरक्षण करना।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्कट प्रयास करना चाहिए जैसे वन संरक्षण वन्यजीव और पर्यावरण की रक्षा। अतएव समय–समय पर न्यायालय पर्यावरण के समुचित मामलों में उपयुक्त निर्देश दे सकते है।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

पर्यावरण ने सारी सृष्टि को सदियों से बचाए रखा है। यदि हमने इसे नष्ट नहीं कर दिया तो आगे भी हमें और हमारी सृष्टि को बचाए रखने में समर्थ रहेगा। भूत, वर्तमान व भविष्य, तीनों से पर्यावरण का गहरा संबंध है। यदि इस संबंध में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो संसार का वर्तमान तथा भविष्य नष्ट हो जाएगा, जिसके लिए हम आने वाली पीढियों के समक्ष अक्षम्य अपराधी माने जाऐंगे।

पर्यावरण के प्रति यदि समाज को संवेदनशील बनाना हो तो शिक्षक यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकता है। क्योकि, एक राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों को प्रदान की जानेवाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है तथा शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

शिक्षक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए शिक्षाशास्त्री और दार्शनिक अरविंद ने कहा है कि – "शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति बनाता है, शिक्षक को देश का भावी, कर्णधार व समाज का मार्गदर्शक माना गया है, वह राष्ट्र का शिरोमणि निर्माता एवं कर्णधार है।"

विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास में सामाजिक उद्धार के साथ–साथ राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषय में जानकारी प्रदान करना शिक्षक का कार्य है। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्राचीन काल से ही इसी कारण शिक्षक को आदरपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। वर्तमान समय मे पर्यावरण को दूषित करने वाली प्रवृत्ति पर अंकुश शिक्षक ही लगा सकते है। वे लोगों में पर्यावरणीय चेतना का विकास कर सकते है। यदि शिक्षक में पर्यावरण से संबंधित कौशल अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास होगा तभी वे जनसामान्य में पर्यावरणीय चेतना के प्रति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकते है, इसलिए शिक्षकों को स्वयं पर्यावरण मूल्यों में पारंगत होना चाहिए।

पर्यावरण के प्रति चेतना या जागरूकता का विकास करने के लिए समाज के विभिन्न लोगों का सहयोग आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु चेतना का विकास करने हेतु पढे लिखे लोगों तथा निरंक्षर दोनों को संवेदनशील बनाना शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। पर्यावरण चेतना और संवेदनशीलता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने से ही विद्यार्थियों में पर्यावरण जागृति या चेतना आ सकती है, अर्थात वे पर्यावरण को किस रूप में समझते है तथा पर्यावरण के प्रति कितना सचेत है, पर्यावरण के प्रति उनकी क्या धारणा एवं दृष्टिकोण है पर्यावरण के सही अर्थ को समझने वाला विद्यार्थी या व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण पर आत्मघाती निती नहीं अपना सकते है। अतः जब तक पर्यावरण के प्रति मानसिक अनुभूति विकसित नहीं होगी, तब तक पर्यावरण चेतना जागृत नहीं हो सकती है।

अतः पर्यावरण चेतना विकसित करने हेतु शिक्षक का यह दायित्व है कि वह विद्यार्थी तथा लोगों को मानसिक रूप से तैयार करे। यदि छात्र अध्यापक पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे तब ही विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे तब ही विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ सकती है। इसलिए प्रस्तृत अध्ययन छात्र अध्यापकों की पर्यावरण जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन है।

1.3 समस्या कथन

छात्र अध्यापको की पर्यावरण जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

1.4 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा

प्रस्तृत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया है उनकी परिभाषा निम्नांकित स्वरूप में है।

1) पर्यावरण :–

पर्यावरण वे संसाधन है जिनके अंतर्गत भूमि पर तथा भूमि के नीचे पाए जाने वाले तत्व–जल, जीव, हवा तथा जीवों को सहायता प्रदान करने वाली सभी वस्तुएं सम्मिलित है।

एक जीव के चारों ओर पाया जानेवाला, वह सब जो जीव के जीवन को प्रत्यक्ष अथवा दूसरें कारकों को प्रभावित करके परोक्ष रूप में प्रभाव डालता है वह पर्यावरण कहलाता है।

2) पर्यावरण जागरूकता :–

पर्यावरण के प्रति समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को अपने पर्यावरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों के प्रति संवेदनशील बनाना ही पर्यावरण जागरूकता कहलाता है।

पर्यावरण में जो बदलाव या अपघटन हो रहे है इनके स्वरूप एवं गंभीरता को अच्छी तरह समझने ने की कौशिस को हम पर्यावरण जागरूकता कहते है।

3) पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण :–

व्यक्ति ने पर्यावरण को समझकर पर्यावरण के क्षयण में कौन–कौन से तत्व सम्मिलित है और पर्यावरण को बचाने में उनकी सोच सकारात्मक रूप में है या नकारात्मक रूप में है। यह जानने का प्रयास ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण है।

दूसरे शब्दों में यह कह सकते है कि, पर्यावरण को बचाने के लिये हम क्या–क्या कर सकते है। क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये इससे संबंधित उनका अपना दृष्टिकोण किस प्रकार का है यह जानना ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण है।

4) छात्र अध्यापक :–

शिक्षा–शास्त्र अध्यापन पदविका अभ्यासक्रम हेतु निर्धारित नियमों के अंतर्गत नियमित अध्यापक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को छात्र अध्यापक कहते है।

1.5 शोध के उद्देश्य

1) छात्र अध्यापकों की पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन करना।
2) छात्र अध्यापकों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
3) पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के बीच सहसंबंध का अध्ययन करना।
4) छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिकाओं की पर्यावरण जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।
5) ग्रामीण एवं शहरी छात्र अध्यापकों की पर्यावरण जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।
6) सरकारी और निजी अध्यापक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापकों की पर्यावरण जागरूकता में अंतर ज्ञात करना।
7) छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिकाओं की पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में अंतर ज्ञात करना।
8) ग्रामीण एवं शहरी छात्र अध्यापकों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में अंतर ज्ञात करना।
9) सरकारी एवं निजी अध्यापक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापकों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में अंतर ज्ञात करना।

1.6 परिकल्पनाएं

1) पर्यावरण जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के बीच सार्थक सहसंबंध नहीं है।
2) छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिकाओं की पर्यावरण जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3) ग्रामीण एवं शहरी छात्र अध्यापकों की पर्यावरण जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4) सरकारी एवं निजी अध्यापक विद्यालय में अध्ययरत छात्र अध्यापकों की पर्यावरण जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5) छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिकाओं की पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

6) ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

7) सरकारी और निजी अध्यापक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अध्यापकों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.7 अध्ययन का सीमांकन

1) प्रस्तृत अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले तक सीमित है।

2) अध्ययन में अध्यापक विद्यालय (D.Ed) के केवल द्वितीय वर्ष के छात्र अध्यापकों तक सीमित रखा गया है।

3) इस अध्ययन में 120 छात्र अध्यापकों का चयन किया गया है, जिनमें 60 छात्र अध्यापक सरकारी अध्यापक विद्यालय के तथा 60 छात्र अध्यापक निजी अध्यापक विद्यालय के है।